छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>शिकायत प्रकरण क्रमांक 447/2006</u>

श्री आशीष अग्रवाल,
आत्मज श्री बृजलाल अग्रवाल,
वार्ड नंबर–18,
मेन रोड, कवर्धा,
जिला–कबीरधाम (छत्तीसगढ़) .... आवेदक

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय प्रबंध संचालक,
भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना
मर्यादित, राम्हेपुर, कबीरधाम,
जिला–कबीरधाम (छत्तीसगढ़) .... अनावेदक

:: आदेश ::

(दिनांक 29 दिसम्बर 2006)

श्री आशीष अग्रवाल, निवासी–कवर्धा के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की है कि उसके द्वारा आवेदन दिनांक 03–03–2006 सूचना अधिकारी, प्रबंध संचालक, भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, राम्हेपुर जिला–कबीरधाम से आवेदन पत्र में उल्लेखित 19 बिन्दुओं पर जानकारी चाही थी। जानकारी न दिये जाने के फलस्वरूप आवेदक ने यह शिकायत प्रस्तुत की। अनावेदक जन सूचना अधिकारी के द्वारा दिनांक 29–7–2006 को उत्तर प्रस्तुत किया गया। उत्तर में जन सूचना अधिकारी ने बतलाया कि कुछ बिन्दुओं की जानकारी आवेदक को दी जा सकती है। आयोग के द्वारा प्राथमिक रूप से यह माना गया कि अनावेदक जन सूचना अधिकारी, भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, राम्हेपुर के द्वारा आवेदक को जानकारी समय पर नहीं दी गई। अतः आयोग के द्वारा जन सूचना अधिकारी, भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि उस पर 10,000/– रू. का अर्थदण्ड क्यों न आरोपित किया जावे। अनावेदक ने अपना जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें बतलाया गया कि आवेदक ने 19 बिन्दुओं पर जानकारी चाही थी तथा उसके द्वारा दिनांक 24–04–2006 को कलेक्टर को अपील की। अपील के दौरान ही दिनांक 26–06–2006 को शिकायत प्रस्तुत की। सूचना अधिकारी का यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता कि अपील लंबित रहते हुए भी शिकायत की गई। सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होने के 1 माह के अंदर जानकारी प्रदाय करने के संबंध में निर्णय दिया जाना चाहिए था। सूचना अधिकारी के द्वारा यह भी बतलाया गया कि यह भ्रमात्मक स्थिति थी कि सूचना का अधिकार अधिनियम भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित पर प्रभावशील है अथवा नहीं, साथ ही जिस समय जानकारी मांगी गई थी उस समय कारखाने में गन्ना की खरीदी एवं उत्पादन चल रहा था। सूचना अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण वांछित

समस्त जानकारी आवेदक को नहीं दी जा सकी थी। आवेदक को कुल 8 बिन्दुओं की जानकारी जो कि कार्यालय में उपलब्ध थी, कुल 5,200 प्रतियों के लिए 2/– रूपए प्रति पेज की दर से राशि जमा करने के लिए लिखा गया, किन्तु उसके द्वारा राशि जमा नहीं की गई तथा कार्यालय में अपशब्दों का प्रयोग किया गया, जिसके विरूद्ध पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गई है। चूंकि शिकायतकर्ता द्वारा राशि जमा नहीं की गई तथा उसे जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः जानकारी दिये जाने में सद्भावनापूर्वक विलम्ब हुआ। आयोग के निर्देशानुसार निःशुल्क जानकारी तैयार कर उसे भेज दी गई है। अतः सूचना अधिकारी के द्वारा अर्थदण्ड का आदेश निरस्त करने के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया गया है। शिकायतकर्ता ने बतलाया कि कारखाना के अधिकारियों के द्वारा पुलिस के माध्यम से उसे जानकारी न देकर डराने का प्रयास किया जाता रहा है। आवेदक के द्वारा दी गई जानकारी के संबंध में सही जानकारी नहीं दिये जाने का उल्लेख किया गया। जन सूचना अधिकारी ने स्पष्टीकरण में बतलाया कि पंजीयक, सहकारी संस्थाओं के द्वारा कारखाने के लिए जो पद स्वीकृत किये गये हैं उन्हीं की जानकारी आवेदक को दी जा सकती है। ठेकेदार के द्वारा लगाये गये मजदूरों की जानकारी कार्यालय में न होने से दी जाना संभव नहीं है। ठेकेदार के द्वारा लगाये गये श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान ठेकेदार के द्वारा ही किया जाता है। वर्ष 2004–2005 में Fringe Benefit Tax लागू नहीं था, अतः उसकी जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। बिन्दु क्रमांक–15 के संबंध में जांच पंजीयक सहकारी संस्था के द्वारा की जा रही है, अतः जांच रिपोर्ट उन्हीं के कार्यालय से प्राप्त हो सकती है। बिन्दु क्रमांक–16 एवं 17 के संबंध में भी विभागीय मंत्री के द्वारा विधान सभा में दिये गये आश्वासन के संबंध में जांच पंजीयक, सहकारी संस्था के द्वारा की गई है। जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने से इसकी प्रतिलिपि दिया जाना संभव नहीं है। जन सूचना अधिकारी के द्वारा बतलाया गया कि शेष सभी जानकारियाँ जो कि उनके कार्यालय में उपलब्ध है, वह आवेदक को दी जा चुकी है। चूंकि विलम्ब जानबूझकर अथवा द्वेषवश नहीं हुआ है, अतः उनके द्वारा अर्थदण्ड आरोपित न करने के लिए अनुरोध किया गया है।

2/ प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को उसके द्वारा वांछित जानकारी जो कि कार्यालय में उपलब्ध है, वह दी जा चुकी है। आवेदक के द्वारा कार्यालय में दुर्व्यवहार करने के फलस्वरूप उसके विरूद्ध पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गई है। उसके द्वारा अभिलेख शुल्क की राशि भी जमा नहीं किया गया है, अतः इन सभी परिस्थितियों में यह नहीं माना जा सकता कि जन सूचना अधिकारी के द्वारा जानबूझकर आवेदक को जानकारी दिये जाने में विलम्ब किया गया है। अतः अनावेदक के विरूद्ध 20,000/– रूपए अर्थदण्ड का कारण बताओ नोटिस निरस्त किया जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत आवेदक को वही अभिलेख प्राप्त हो सकता है, जो कि लोक प्राधिकारी के संरक्षण में हो। जांच प्रतिवेदन कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, अतः उसे उपलब्ध कराने का दायित्व जन सूचना अधिकारी पर नहीं है।

3/ अतः उपरोक्त सभी तथ्यों पर विचार करने के उपरान्त आवेदक की यह शिकायत अस्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त